ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियाँ

सारांश

सुशासन की अवधारणा 20वीं सदी के अंतिम दशक में विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनों तथा लोक प्रशासन की विफलता के क्रम में हमारे समक्ष नए स्वरूप में आयी है। इसके अंतर्गत समग्र एवं एकीकृत मानव विकास को बढ़ावा एवं बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। सुशासन के लक्ष्य को केवल संविधान में वर्णित लक्ष्यों के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। सुशासन की स्थापना उसी दशा में होगी जब निर्वाचित सरकारों द्वारा बिना किसी भेदभाव के भयमुक्त शासन, कानून एवं व्यवस्थाा की स्थापना, गरीब तबकों की सुरक्षा, प्रशासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोकथाम, विकेन्द्रीकरण, ग्राहक उन्मुखता, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता, जवाबदेहिता, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, शासन में नवाचार, आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए समर्पित संस्थाओं का सृजन, राष्ट्रीय मूल्यों की पहचान एवं उनकी सुनिश्चितता, राजनीति के अपराधीकरण की रोकथाम, निर्वाचन सुधार तथा युवाओं हेतु पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन करने का प्रयास किया जायेगा।

मुख्य शब्द : सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधि का शासन, भागीदारी, उत्तरदायित्व, समानता एवं समावेशन।

बजरंग सिंह राठौड़
विभागाध्यक्ष,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूंगर महाविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान

प्रभा शेखावत
शोध छात्रा,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूँगर महाविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान

प्रस्तावना

भारत में सुशासन की अवधारणा नयी नहीं है बल्कि यह रामराज्य एवं स्वराज्य की परम्परागत अवधारणा का ही नया नाम है। भारतीय शास्त्रों मुख्यतः श्रीमद् भगवद्गीता, यजुर्वेद, मनुस्मृति, महाभारत, चाणक्य का अर्थशास्त्र तथा कामण्डक के शुक्रनीति सार इत्यादि ग्रंथों में सुशासन के व्यापक नियम वर्णित है। इन शास्त्रों में राजा के कर्त्तव्यों तथा राजधर्म के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" के मूल मंत्र पर आधारित थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास की कल्पना की गयी थी। 20वीं सदी के अंतिम दशक में विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनों तथा लोक प्रशासन की विफलता के क्रम में सुशासन की अवधारणा हमारे समक्ष नये रूप में उभर कर आयी है। वास्तव में शासन का अर्थ सरकार की उस अवधारणा से लिया जाता है जिसमें उसकी गुणात्मकता परिलक्षित होती हो।

विश्व बैंक द्वारा दी गयी सुशासन की अवधारणा ऋण प्राप्त करने वाले देशों में राज्य, बाजार और नागर समाज के बीच सम्बन्धों से जुड़ी हुई है। इस अवधारणा के तहत "न्यूनतम राज्य" का आदर्श "प्रभावी राज्य" के साथ बदल दिया गया है। विश्व बैंक का तर्क है कि राज्य को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करने के लिए बाजार और नागरिक समाज को प्रबंधित और विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। सुशासन की अवधारणा को लेकर अनेक प्रतिस्पर्धात्मक विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। लेकिन अधिकांश दाताओं का यह तर्क है कि सुशासन की अवधारणा में कम से कम इन प्रत्ययों को तो सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनमें प्रमुख सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि, कानून और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के लिए सम्मान और मजबूत बनाना, लोकतंत्रीकरण, विकेन्द्रीकरण और स्थानीय सरकार सुधार विकास में नागरिक समाज की भागीदारी में वृद्धि और मानवाधिकारों और पर्यावरण के प्रति समान है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सुशासन की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा इस अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों द्वारा 'सर्वजन हिताय' के मूल मंत्र की अवधारणा को साकार करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए जिससे की सुशासन की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सके।

एक विकास संस्थान के रूप में विश्व बैंक ने जो सुशासन का सपना देखा है उस एजेण्डे में तीन पहलुओं को सम्मिलित किया गया है –

1. विश्व बैंक विकासशील देशों को भीतर से बदलने की जरूरत पर बहुत जोर देता है। सुशासन का एजेण्डा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि सहायता अच्छी नीति वाले पर्यावरण के अभाव में प्रभावी नहीं हो सकती है।
2. वर्तमान सुशासन एजेण्डा 1980 के दशक के अपने समर्थक बाजार रुख के विपरीत, राज्य और संस्थानों के लिए सकारात्मक यद्यपि प्रतिबंधित भूमिका की पहचान करता है। उस अवधि के दौरान, विकासशील देश अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने के लिए संरचनात्मक समायोजन ऋण प्रदान किए गए थे। 1990 के दशक में केन्द्रीय बैंक के प्रतिमान "संस्थानों को सही" पाने के लिए "कीमतों को सही" से बदल दिया। हालांकि बाजार की पहुँच का विचार बैंक के दृष्टिकोण के मूल पर रहता है। यह विचार इस मान्यता से बदल गया है कि राज्य बाजार के लिए संस्थानों के प्रदाता के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
3. सुशासन के एजेण्डे ने विश्व बैंक को पहले से न सुलझा हुआ क्षेत्र जैसे कि भागीदारी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक सुधार के मुद्दों में नेतृत्व किया है। यद्यपि इन सभी क्षेत्रों में बैंक की नीति की सही दिशा में अस्पष्टता बनी हुई है। सुशासन का एजेण्डा निश्चित रूप से बैंक के परम्परागत रूप से "तकनीकी" चरित्र को पहले से कहीं अधिक बढ़ाया है।

सुशासन की अवधारणा

सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक, राजनैतिक इकाई (जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि) को इस प्रकार संचालित करना कि वह वांछित परिणाम दे। सुशासन के अंतर्गत अनेक तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन एवं सदाचार आदि प्रमुख हैं।[1]

जिन देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं पायी जाती हैं इन देशों के नागरिक प्रारम्भिक वर्षों में तो लोकतंत्र की अवधारणा से संतुष्ट नजर आए परन्तु कालान्तर में जन अपेक्षाओं में बदलाव के कारण इन शासन व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की माँग भी निरन्तर बढ़ती गयी। प्रत्येक देश में कार्यरत संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेहिता की भावना रखते हुए अपनी प्रभावशीलता सिद्ध करे ऐसी अपेक्षाएं संस्थाओं से की जाने लगी। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जब नागरिकों की परिपक्वता का स्तर बढ़ता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव किसी भी देश की शासन व्यवस्था पर पड़ता है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसी भी देश की शासन व्यवस्था को कुछ प्रलोभनों या दबावों के आधार पर अपनी शर्तों को मानने के लिए बाध्य करती है तो ऐसी स्थिति में बदलावों को स्वीकार करना सरकारों के लिए अति आवश्यक हो जाता है।

यह बात अलग है कि इन नए नवाचारों को अपनाने के लिए वह राष्ट्र और उसमें कार्यरत संस्थाएं एवं नागरिक उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए किस स्तर तक सहमत है। विकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में मूलभूत अन्तर होता है। यदि हम विकसित देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानदण्डों और सुधारों को विकासशील देशों में लागू करके उसकी प्रभावशीलता का आंकलन करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित नवीन मानदण्डों पर खरा उतरना इन देशों की शासन व्यवस्था के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है क्योंकि इन देशों में कार्यरत संस्थाओं का संरचनात्मक ढांचा विशिष्टीकरण लिए नहीं होता। इन देशों में रहने वाले लोग धर्म, जाति, क्षेत्र इत्यादि में बंटे रहते हैं तथा प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में लेट लतीफी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण शासन संचालन में भी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन देशों द्वारा सुशासन की स्थापना किया जाना एक चुनौती भरा और दुष्कर कार्य होता है।

विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए भारत में भी तत्कालीन सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास शुरू किए गए। सुशासन की स्थापना करने की दिशा में किए गए प्रयासों को निम्न प्रकार देखा जा सकता है –

1. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए एवं संवैधानिक संस्तर प्रधान करने के लिए 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पारित करवाना।
2. ग्राम सभाओं की महत्ता को स्वीकार करते हुए जन सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
3. सूचना के अधिकार को लागू कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता लाने का प्रयास किया गया।
4. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने–अपने मंत्रालयों से सम्बन्धित कार्य प्रणाली को आम जन के लिए जानकारी प्रदत्त करने की दिशा में वेबसाइट का निर्माण कर नागरिक अधिकार पत्रों का प्रकाशन किया।
5. ई–शासन का प्रारम्भ – इसके तहत सरकारी क्रियाकलापों को कागज रहित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग को बढ़ावा दिया गया, फाइलों का आदान–प्रदान ईमेल के माध्यम से किया जाने लगा, ऑनलाईन सेवाएँ प्रारम्भ की गयीं, जिसके तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अनेक सेवाओं को जोड़ा गया।
6. लोकपाल बिल को पारित किया गया।
7. सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा दिया गया।
8. गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को समाज के रचनात्मक विकास के लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।
9. नागर समाज को बढ़ावा।

10. स्वच्छता अभियान आदि द्वारा जन चेतना लाने का प्रयास किया है।

सुशासन के प्रमुख तत्त्व

सुशासन की अवधारणा आदर्शात्मक है तथा इसको प्राप्त करने के लिए सरकारों से कई प्रकार की अपेक्षाएं हैं परन्तु कुछ मानदण्डों की स्थापना को लेकर सहमति बनी है जिनका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी किया गया है। वे इस प्रकार हैं[2] –

1. विधि का शासन
2. समानता एवं समावेशन
3. भागीदारी
4. अनुक्रियता
5. बहुमत/मतैक्य
6. प्रभावशीलता दक्षता
7. पारदर्शिता
8. उत्तरदायित्व
9. निष्पक्ष आंकलन

भारत सरकार द्वारा सुशासन की स्थापना के उपर्युक्त वर्णित अनेक प्रयास किए हैं जिसके बावजूद सुशासन की स्थापना के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जिनकी विवेचना करना प्रासंगिक होगा। सुशासन के समक्ष अवलोकित की गयी कुछ समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है –

राजनीति में अपराधीकरण

राजनीति में अपराधीकरण का पाया जाना सुशासन के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। राजनीति में अपराधीकरण का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही प्रारम्भ हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप अपना–अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सभी दल साधनों की पवित्रता को नकारने लगे एवं गांधीवादी दृष्टिकोण से दूरीयां बनाने लगे। भारतीय राजनीति में धन एवं शक्ति का बोलबाला है। अधिकांश नेतागण धनाढ्य परिवारों से आते हैं अथवा उनका सम्बन्ध अपराधी तत्त्वों से होता है। गुणवत्ता कभी भी हमारी चुनाव प्रक्रिया का आधार नहीं रहा है। यदि देश के अधिकांश नेता जब अपराधी प्रवृत्ति के हैं तब परिणामतः देश की राजनीति का अपराधीकरण स्वाभविक है। भारत सरकार ने पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव एन.एन. बोहरा समिति ने अक्टूबर, 1993 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण और भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ की समस्या का अध्ययन किया।[3] इस रिपोर्ट में अधिकारिक एजेन्सियों द्वारा आपराधिक नेटवर्क पर किए गए अवलोपन शामिल थे जो वास्तव में एक समानान्तर सरकार चला रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अपराधिक गिरोह पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच गठजोड़ देश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से सामने आया है। हाल ही में सम्पन्न 5 राज्यों के चुनावों में कई अपराधिक पृष्ठभूमि के एवं दल बदलू राजनीतिज्ञ सरकार में शामिल हुए हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों से सुशासन की क्या अपेक्षा की जा सकती है? अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में सुचिता की स्थापना की जाए।

सुरक्षित न्याय

देश में निवास करने वाले लोगों को जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदत्त करना सुशासन का प्रथम दायित्व है। यह सुरक्षा बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए। कानून के शासन की पालना दृढ़ता के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्याय एवं कानून व्यवस्था में लगी संस्थाओं को निरपेक्ष भाव से कार्य करना चाहिए। इनकी कार्य प्रणाली से यह कही भी परिलक्षित नहीं होना चाहिए कि ये संस्थाएं किसी के दबाव एवं भय में कार्य कर रही हैं। लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाया जाना चाहिए अन्यथा उस न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। शासन की दृष्टि में अपराधियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए न ही उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। बल्कि शासन का दृष्टिकोण दृढ़ता के साथ कानून की पालना सुनिश्चित करना होना चाहिए तथा कानून की पालना करवाने वाले कर्मचारियों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। जिससे कि वे चुनौतियों के साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रति सशंकित न हो।

भ्रष्टाचार

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार से आशय किसी भी लोक सेवक के अनैतिक और अनुचित आचरण से है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मानवीय नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। 2016 में दुनिया के 175 देशों में से भारत का भ्रष्टाचार में 79वां स्थान था।[4] सुशासन के मार्ग में भ्रष्टाचार एक रुकावट है जिससे जनता का शासन पर से विश्वास उठने लगा है। हालांकि सूचना के अधिकार के प्रवर्तन के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों में चौकन्नापन आया है तथा भ्रष्टाचार की पायी जाने वाली प्रवृत्ति हतोत्साहित हुई है। परन्तु अभी भी सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए है जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, राज्य अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त आदि की स्थापना प्रमुख है। जहाँ तक इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं सक्षमता का प्रश्न है ये संस्थाएं कार्यप्रणाली को लेकर अनेक दुर्बलताओं से ग्रसित हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशा भी कई बार स्पष्ट दिखलायी नहीं पड़ती और इन एजेन्सियों द्वारा आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। फलस्वरूप भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार के निराकण के लिए कार्यरत संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाए तथा इनको कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता प्रदान कर भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए।

सेवाओं का प्रभावी निष्पादन

सेवाओं के प्रभावी वितरण की योजना की मुख्य विशेषता को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि माँगों को ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए बल्कि नीचे से ऊपर आना चाहिए। भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए तीन संस्थाओं द्वारा मुख्य भूमिका निभायी

गई है जिसमें प्रमुख हैं – (1) न्याय पालिका (2) मीडिया (3) नागरिक समाज। न्याय पालिका को हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र चरित्र प्रदान किया है। इससे बहुत मदद मिली है। कार्यपालिका द्वारा प्रदत्त की गयी सेवाओं में कहीं कोई विफलता पायी जाती है तो न्याय पालिका द्वारा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप किया गया है। जनहित याचिका व्यक्तियों के साथ ही गैर सरकारी संगठनों के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है। इस प्रकार मीडिया – इलैक्ट्रोनिक व प्रिंट दोनों, परिवर्तन के लिए दबाव के स्रोत के रूप में उभर कर आए हैं।

सेवाओं की अदायगी के दौरान यदि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई अड़चन पैदा की जाती है या रिश्वत की माँग की जाती है तो मीडिया द्वारा ऐसे प्रकरणों को गम्भीरता से लिया जाता है। ऐसे प्रकरणों के मीडिया में स्थान पाते ही कर्मचारी तत्परता से कार्यों को सम्पन्न करने लगते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी प्रभावी तरीके से निर्वहन की जाती है और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को कार्यपालिका के समक्ष उठाया जाता है जिससे की जनआकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

सशक्तीकरण

सशक्तीकरण की अवधारणा को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। एक ऐसी यांत्रिकता जिसके द्वारा लोग संगठन और समुदायों को उनके जीवन पर लाभ मिलता है। इस प्रकार सशक्तीकरण की अवधारणा उन लोगों और समुदायों पर बल देती है जिनकी स्वायत्तता और आत्मनिर्णय को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बन सके। हमारे संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण का लाभ देकर उनको सशक्त करने का प्रयास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.सी. ठाकुर ने कहा है कि, "पिछड़े, कमजोर और अशिक्षित लोगों को न केवल न्याय के लिए आवश्यक विधिक सहायता दी जाए बल्कि उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें उनके अधिकार भी दिलाए जाए। पिछड़े, कमजोर और गरीब लोगों को उनका अधिकार दिलाना सुशासन का ही हिस्सा है।"[5]

क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और संगठन अपने काम को कुशलता पूर्वक करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुधार करते हैं और अपनी क्षमताओं को अपनाए रखते हैं। क्षमता निर्माण और क्षमता विकास को सामान्यतः एक–दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है हालांकि कुछ लोग क्षमता निर्माण को लोगों की मौजूदा क्षमता को पहचानने के रूप में नहीं बताते हैं जबकि क्षमता विकास मौजूदा क्षमता को पहचानना है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। सामुदायिक क्षमता निर्माण सामाजिक, व्यावहारिक परिवर्तन के लिए वैचारिक दृष्टिकोण है। 1990 के दशक के दौरान समुदाय के निर्माण की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय विकास के लेक्सिकोन में उभरी। वर्तमान में समुदाय क्षमता निर्माण को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल किया गया है जो विकास के काम करते हैं। सामुदायिक क्षमता निर्माण अकसर विकासशील समाजों में लोगों, समुदायों के कुशल, दक्षताओं और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए होता है ताकि वह अपने बहिष्कार और पीड़ा के कारणों को दूर कर सके। संगठनात्मक क्षमता निर्माण गैर सरकारी संगठनों और सरकारों द्वारा अपने आंतरिक विकास और गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है।

बेरोजगारी

बेरोजगारी की समस्या से विश्व के सभी देश ग्रसित हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार 2012 में विश्व के 200 मिलियन लोग या 6 प्रतिशत लोग बेरोजगार थे। हमारे देश में भी बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप लिए हुए है। जिसमें युवाओं की संख्या अधिसंख्य है। यदि युवाओं को समय रहते इनको रोजगार के अवसर प्रदत्त कर, इनकी रचनात्मक शक्ति का सही दिशा में उपयोग नही किया गया तो यह राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होगा। हालांकि वर्तमान सरकार द्वारा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2017 में वर्ल्ड एम्प्लोयमेंट सोशल आउटलुक प्रतिवेदन जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 तक बेरोजगारों की गिनती 178 लाख हो जायेगी।[6] इसके अनुसार बेरोजगारी की दर 2017–18 में तकरीबन 3.4 प्रतिशत बनी रहेगी। आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत ने नयी नौकरियां पैदा करने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया। दक्षिण एशिया में जो 134 लाख नयी नौकरियां पैदा हुईं इनमें से ज्यादातर भारत की रही। मार्च, 2017 में बेरोजगारी का प्रतिशत 4.46 है। यह शहरी क्षेत्रों में 5.74 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 7.81 प्रतिशत है।

निष्कर्ष

सुशासन की अवधारणा इस बात की ओर इंगित करती है कि सरकार आमजन के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध एवं जवाबदेह होकर कार्य करे। शासन में कार्यरत संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता परिलक्षित हो। देश में रहने वाले सभी नागरिकों को न्याय प्रणाली पर भरोसा हो, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान समझे जाये और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं बिना किसी भेदभाव के कानून की पालना को सुनिश्चित करे। समाज में रहने वाले सभी वर्गों को आत्मसम्मान के साथ बढ़ने हेतु अवसरों की उपलब्धता हो और जो वर्ग आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं उनको समुन्नत करने के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की जाए। महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों आदि के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए तथा देश की सीमाओं के भीतर इस प्रकार का वातावरण बने जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भयमुक्त होकर अपना जीवन निर्वाह विधि द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार कर सके। वह स्थिति सुशासन को साकार रूप प्रदान करने वाली होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Good Governance - Wikipedia*
2. *Good Governance : An Overview, International Fund for Agricultural Development Executive Board- Sixty Seventh Session, Rome, 8-9 Sept 1999, Page 6.*
3. *Vohra Committee Report on 'Criminalisation of Politics', Ministry of Home Affairs.*
4. *'Corruption Perception India', 2016, Transparency International, tradingeconomics.com*
5. *Empowering Backward Sections part of Good Governance : CJI, PTI, Raipur, Sept. 10, 2016.*
6. *'Unemployement in India to Increase Marginally in 2017-18', U.N. Report, Published in The Times of India, Jan. 13, 2017.*